दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 07.01.2010

<u>सि.वा.(मू.प.) सं. 831/2006</u>

श्री मीर सिंह ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री राजीव के. गर्ग अधिवक्ता के साथ श्री आशीष गर्ग, अधिवक्ता

बनाम

श्री अमर सिंह ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सुनील दलाल अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

श्री रत्नेश बंसल अधिवक्ता आवेदनकर्ताओं।

कोरमः

माननीय न्यायाधीश सुश्री एरूना सुरेश

(1) क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?
(2) रिपोर्टर के पास भेजा जाना है या नहीं? हां
(3) क्या निर्णय की सूचना डाइजेस्ट में दी जानी चाहिए? हां।

<u>निर्णय</u>

<u>अरुणा सुरेश, न्या.</u>

सि.वा.(मू.प.) सं. 831/2006 में अंतर.आ. सं. 9718/2006 और 12698/2006

(आदेश 1 नियम 10 सि.प्र.स.)

1. इस आदेश के माध्यम से मैं दो आवेदनों का निपटान करूंगा- एक प्रतिवादी के बेटे नरेश कुमार द्वारा दायर किया गया है और दूसरा, प्रतिवादी के मृत बेटे श्री जय किशन की पत्नी श्रीमती राज रानी द्वारा दायर किया गया है, जो इस मामले में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की मांग कर रही हैं।

2. इन दो आवेदनों को दाखिल करने के तथ्य यह हैं कि वाद संपत्ति यानी खसरा सं. 8/1, 8/2, 311, 309, 321, 322, 323, मकान सं. VI का हिस्सा, भूतल पर जिसकी लम्बाई 42 वर्ग यार्ड और चौड़ाई 11 यार्ड में, दो कोठें और दो भुखारी, संपत्ति सं. 168 का आधा हिस्सा (3 बिस्वा), खसरा सं. 7/1, 7/2, 247/2, 248/275 और पोली की दो कोठियां एक मकान संख्या 6 और दूसरा हिस्सा पश्चिम की ओर भूखंड सं. 166 का 3 बिस्वा, खसरा सं. 276, 277 और पश्चिम की ओर पहली मंजिल पर एक कोठा और खसरा सं. 278 और पूर्व की ओर मकान सं. VI की पहली मंजिल पर एक कोठा आदि (जिसे इसके बाद "वाद

संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया गया है) का स्वामित्व प्रतिवादी के पिता माम चंद के पास था। माम चंद की मृत्यु के बाद, उनके संपत्तियों पर प्रतिवादी सहित उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने कब्जा कर लिया। पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी का सिलसिला चल पड़ा है। मृतक माम चंद के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विभाजन का वाद दायर किया गया था। उक्त वाद में समझौता हो गया। मुकदमे में प्रतिवादी ने वचन दिया था कि विभाजन के बाद नरेश और जय किशन के हिस्सें पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। दोनों आवेदक स्वयं को उस वाद परिसर में सह-हिस्सेदार होने का दावा करते हैं, जिसे अमर सिंह वादी को बेचने के लिए सहमत हुए थे। प्रतिवादी के बच्चों के साथ-साथ प्रतिवादियों के बीच कई मामले लंबित हैं। चूँकि दोनों आवेदक वाद संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करते हैं, इसलिए ये आवेदन प्रतिवादियों के समूह में उन्हें पक्षकार बनाने के लिए दायर किए गए हैं।

3. दोनों आवेदनों का वादी द्वारा यह तर्क देते हुए विरोध किया गया है कि आवेदक न तो भूमिदार हैं और न ही विवादित भूमि पर उनका कब्जा है। इसलिए, वे न तो वर्तमान वाद में आवश्यक हैं और न ही उचित पक्षकार हैं, कि वादी के पक्ष में बिक्री विलेख के निष्पादन से बचने के लिए आवेदकों द्वारा प्रतिवादी की मिलीभगत से आवेदन दायर किया गया है। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, आवेदक, जो प्रतिवादी की भूमि के भूमीदार

नहीं हैं, उनका विवादित भूमि पर कोई अधिकार, स्वामित्व, हित या कब्जा नहीं है। यह कि उक्त मुकदमा के तथ्य का खुलासा प्रतिवादी द्वारा वादी को कभी नहीं किया गया था और यह आवेदकों और प्रतिवादी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच था, इसके अलावा वह आवेदकों, प्रतिवादी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच किसी भी मुकदमे में पक्षकार नहीं है, कि सिविल रिट याचिका सं. 279/89 में निपटान के अनुसार, वाद संपत्ति प्रतिवादी के हिस्से में आ गई। उक्त समझौते के बाद, प्रतिवादी का हिस्सा प्रतिवादी और उसके बेटों के बीच पारस्परिक रूप से विभाजित किया गया था और वाद संपत्ति का कुछ हिस्सा नरेश कुमार और श्रीमती राज रानी के हिस्से में आ गया था। इसलिए, आवेदक वर्तमान वाद के प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्षकार हैं। इसलिए, आवेदन खारिज किए जाने योग्य हैं।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश बंसल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अचल संपत्ति में आवेदकों का हित प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में बेचने के आक्षेपित समझौते के निष्पादन के कारण खतरे में है, जिसमें उसे कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वे वर्तमान वाद के आवश्यक और उचित पक्षकार हैं।

5. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव के. गर्ग ने तर्क दिया है कि इन आवेदनों में जिस प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या विक्रेता के खिलाफ एक क्रेता द्वारा स्थापित संपत्ति की बिक्री के अनुबंध के

विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद में, एक अजनबी या अनुबंध का कोई तीसरा पक्षकार, जो अनुबंध की गई संपत्ति पर स्वतंत्र स्वामित्व और कब्जा होने का दावा करता है, उक्त वाद में एक पक्षकार/प्रतिवादी के रूप में शामिल होने का हकदार है और चूंकि आवेदक वाद संपत्ति में स्वतंत्र अधिकार का दावा कर रहे हैं, वे न तो वर्तमान वाद में आवश्यक हैं और न ही उचित पक्षकार हैं, और उनकी अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री पारित की जा सकती है क्योंकि वाद में वादी द्वारा दावा की गई राहत का दावा आवेदकों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इन परिस्थितियों के तहत, आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "सी.प्र.सं." के रूप में संदर्भित) को देखते हुए, आवेदन खारिज किए जाने के योग्य हैं।

6. आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) सी.प्र.सं. इस प्रकार हैः-

> "(2) **न्यायालय पक्षकारों को हटा सकता है या जोड़ सकता है।-** न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर, किसी भी पक्ष के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, आदेश दे सकता है कि अनुचित तरीके से शामिल किए गए किसी भी पक्षकार का नाम, चाहे वह वादी के रूप में हो या प्रतिवादी, हटा दिया जाए, और किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसे शामिल किया जाना चाहिए था, चाहे वह वादी के रूप में हो या प्रतिवादी, या जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो ताकि अदालत वाद में शामिल सभी प्रश्नों

का निपटान प्रभावी ढंग से कर सके और पूरी तरह से निर्णय ले सके, शामिल किया जाना चाहिए।"

7. इस प्रकार, विधि के उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर, कार्यवाहियों के किसी भी स्तर पर न्यायालय किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसी शर्तों पर आदेश दे सकता है जो न्यायालय को किसी का नाम जोड़ने के लिए उचित लगें, चाहे वह वादी के रूप में हो या प्रतिवादी, यदि न्यायालय का विचार है कि न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है ताकि वह वाद में शामिल सभी प्रश्नों का प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय ले सके और उनका निपटान कर सके।

8. वादी ने रु.28,75,616/- के कुल क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित दिनांक 26.11.2005 को विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद दायर किया है। वादी का दावा है कि उसने रसीद के माध्यम से विक्रय समझौते के निष्पादन के समय रु.6,50,000/- की राशि का भुगतान किया है। प्रतिवादी ने खुद को भूमिदार/पूर्ण स्वामी, कब्जाधारी और उस पर शांतिपूर्ण भौतिक कब्ज़ा होने का दावा करते हुए, वादी को वाद संपत्ति बेचने के लिए सहमत हो गया था।

9. आवेदकों ने वाद संपत्ति में सहदायिक के रूप में अपने अधिकारों का दावा किया है। वे बेचने के आक्षेपित समझौते से अनजान हैं। जिस व्यक्ति को वादी द्वारा वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, उसे जोड़ने के लिए आदेश 1 नियम 10 सी.प्र.सं. को लागू करने के अदालत की अधिकारिता का सवाल तब तक नहीं उठता है, जब तक कि पक्षकार को जोड़ने का प्रस्ताव नहीं किया जाता है, वाद में शामिल विवाद में प्रत्यक्ष कानूनी हित है। एक व्यक्ति विवादों के उत्तरों में कानूनी रूप से तभी रुचि ले सकता है जब वह अदालत को संतुष्ट कर सके कि इससे कोई परिणाम निकल सकता है जो उसे कानूनी रूप से प्रभावित करेगा। विशिष्ट निष्पादन के वाद में, अदालत को यह देखना होता है कि वादी को उसी विषय-वस्तु, अर्थात बेचने के समझौते से संबंधित आवेदकों के खिलाफ मुकदमे में दावा किए गए राहत का दावा करने का अधिकार है।

विशिष्ट निष्पादन के वाद में जो मुद्दा शामिल है, जिस पर अदालत द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह अनुबंध की गई संपत्ति की बिक्री के क्रेता और विक्रेता के बीच किए गए अनुबंध की प्रवर्तनीयता है और क्या विक्रेता अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने के तैयार और इच्छुक था और क्या मामले की परिस्थितियों में खरीदार विक्रेता के खिलाफ बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री का हकदार है।

10. आवेदकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपना दावा अनुबंधित संपत्ति के स्वतंत्र स्वामित्व पर आधारित किया है। इसलिए, यदि आवेदकों को प्रतिवादी के रूप में वाद में अनुमति दी जाती है या उन्हें जोड़ा जाता है या पक्षकार बनाया जाता है, तो बिक्री के अनुबंध के उक्त विशिष्ट प्रदर्शन का दायरा विशिष्ट प्रदर्शन के वाद से स्वामित्व और कब्जे तक बढ़ जाएगा, जो कानून में अनुमेय नहीं है। उनके नामों के इस तरह जोड़ने से मुकदमा जटिल हो जाएगी और अदालत को विचारना में जाना होगा और गंभीर प्रश्नों पर निर्णय लेना होगा, जो पूरी तरह से वाद के दायरे से बाहर होगा और मामले के निर्णय को अनावश्यक लंबा करेगा, क्योंकि प्रतिवादियों की श्रेणी में ऐसे व्यक्तियों को जोड़ना मुकदमे के अंतिम निर्णय के बिना जारी रह सकता है।

11. आवेदक, इन परिस्थितियों में, अनुबंध के लिए अजनबी होने के कारण, जोड़े जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ताकि वाद की प्रकृति को विशिष्ट प्रदर्शन से भिन्न चरित्र के वाद में बदला जा सके, स्वामित्व और कब्जे के लिए वाद किया जा सकता है। अदालत को वर्तमान वाद में यह देखना महत्वपूर्ण है कि पक्षकारों के बीच विवाद है और अदालत को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि क्या आवेदकों ने अनुबंधित संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त किया है, क्योंकि यह इस मामले का न्यायोचित निर्णय नहीं है, अर्थात बिक्री के लिए अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन।

12. बिक्री अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए पारित डिक्री अनुबंधित संपत्ति के संबंध में आवेदकों के अधिकार, स्वामित्व या हित को प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए, वर्तमान वाद में आवेदकों को जोड़ा जाना न तो आवश्यक हैं और न ही वे उचित पक्षकार हैं। इसके अलावा, वादी को उस पक्ष को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है, जब तक कि यह कानून के शासन की मजबूरी न हो।

13. '**कस्तुरी बनाम इयमपेरुमल, (2005) 6 एस.सी.सी. 733'**, इसी तरह की परिस्थितियों में, जिसमें आवेदक कस्तूरी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के खिलाफ बिक्री के लिए समझौते को लागू करने के लिए एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद दायर किया गया था, प्रत्यर्थी सं.1, 4 से 11 ने अनुबंध की गई संपत्ति पर स्वतंत्र स्वामित्व और कब्जे का दावा करते हुए आवेदन दायर किए, ताकि वे खुद को प्रतिवादी के रूप में वाद में शामिल कर सकें, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए आदेश 1 नियम 10 सी.प्र.सं. के तहत प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनने के आवेदन को खारिज कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार में आदेश 1 नियम 10(2) सी.प्र.सं. के दायरे पर विचार किया और कहाः

> "7. हमारे विचार में, इस प्रावधान को पढ़ने पर, अर्थात, आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) सी.प्र.सं. का दूसरा भाग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि

बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद में आवश्यक पक्ष अनुबंध के पक्षकार हैं या यदि वे मर चुके हैं, तो उनके कानूनी प्रतिनिधि भी वह व्यक्ति जिसने विक्रेता से अनुबंधित संपत्ति खरीदी थी। इक्विटी के साथ-साथ विधि में, अनुबंध अधिकारों का गठन करता है और पक्षों की देनदारियों को भी नियंत्रित करता है। खरीदार एक आवश्यक पक्षकार है क्योंकि वह प्रभावित होगा यदि उसने अनुबंध की सूचना के साथ या उसके बिना खरीदा था, लेकिन एक व्यक्ति जो एक विक्रेता के दावे के प्रतिकूल दावा करता है, हालांकि, एक आवश्यक पक्षकार नहीं है। उपरोक्त से, अब यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए दो परीक्षणों को पूरा करना है कि कौन सा एक आवश्यक पक्षकार है। परीक्षण हैं-(1) कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्षकार के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए; (2) ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती है।

11. जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए दो परीक्षणों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है कि कौन एक आवश्यक पक्षकार है, आइए अब विचार करें कि बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के वाद में उचित पक्षकार कौन है।

विशिष्ट निष्पादन के वाद में उचित पक्षकार कौन है, इस प्रश्न को तय करने का मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के वाद में शामिल विवादों पर निर्णय लेने के ऐसे पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रकार, प्रश्न का निर्णय वाद के दायरे को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के वाद में जो प्रश्न तय

किया जाना है, वह अनुबंध पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध की प्रवर्तनीयता है। यदि जोड़ने की मांग करने वाले व्यक्ति को इस तरह के वाद में जोड़ा जाता है, तो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसे व्यावहारिक मुकदमा से स्वामित्व के वाद में बदल दिया जाएगा। इसलिए वाद में शामिल विवादों के प्रभावी निर्णय के लिए ऐसे पक्षकारों की उपस्थिति को बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कहा जा सकता है। लॉर्ड चांसलर कोटनहैम ने टास्कर बनाम स्मॉल 1834 (40) ई.आर. 848 में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: (ईआर पृ.सं. 850-51)

"यह विवादित नहीं है कि, आम तौर पर, बिक्री के अनुबंध के एक विशिष्ट प्रदर्शन के लिए बिल के लिए, अनुबंध के पक्षकार केवल उचित पक्षकार हैं; और, जब उस प्रकार के वादों में इक्विटी न्यायालयों की अधिकारिता के आधार पर विचार किया जाता है तो यह उचित रूप से अन्यथा नहीं हो सकता है। न्यायालय ऐसे मामलों में अधिकारिता मानता है, क्योंकि न्यायालय, केवल अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के लिए हर्जाना देता है, केवल अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के लिए हर्जाना देता है, कई मामलों में पर्याप्त उपाय नहीं करता है। लेकिन, इक्विटी के साथ-साथ कानून में, अनुबंध अधिकार का गठन करता है, और पक्षों की देनदारियों को नियंत्रित करता है; और दोनों कार्यवाहियों का उद्देश्य शिकायत करने वाले पक्षकारों को यथासंभव उसी स्थिति में रखना है जिसमें प्रतिवादी सहमत था कि उसे रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि व्यक्ति, अनुबंध के लिए अजनबी, और इसलिए, न तो अधिकार के हकदार हैं, और न ही देनदारियों के अधीन हैं जो इससे उत्पन्न होते हैं, इसके निष्पादन को लागू करने के कार्यवाही के लिए भी वे उतने ही अजनबी हैं क्योंकि वे इसके उल्लंघन के लिए हर्जाना वसूलने की कार्यवाही कर रहे हैं।"

[जोर दिया गया]

13. उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि आवश्यक पक्षकार वे व्यक्ति हैं जिनकी अनुपस्थिति में अदालत द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है या कार्यवाही में शामिल विवाद के संबंध में किसी पक्षकार के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए और उचित पक्षकार वे हैं जिनकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक होगी ताकि अदालत प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी सवालों पर निर्णय ले सके और उनका निपटान कर सके, हालांकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे में कोई राहत का दावा नहीं किया गया था।

15. .....विजय प्रताप बनाम शंभू सरन सिन्हा (1996) 10 एस.सी.सी. 53 के मामले में, इस न्यायालय ने वही दृष्टिकोण अपनाया था जो इस निर्णय में हमारे द्वारा लिया जा रहा है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इस न्यायालय ने उस निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध के लिए अजनबी की वाद संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित का निर्णय करना अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद के दायरे से बाहर है और इसे नियमित स्वामित्व वाद में नहीं बदला जा सकता है।

16. इसके अलावा, उप-नियम (2) आदेश 1 नियम 10 सी.प्र.सं. में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "वाद में शामिल सभी प्रश्नों" को पढ़ने से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि विधायी का स्पष्ट रूप से मतलब था कि पक्षकारों के बीच उठाए गए विवाद मुकदमे में केवल उस अधिकार से संबंधित विवादों पर ही विचार किया जाना चाहिए, अर्थात, उस अधिकार के संबंध में विवाद जो स्थापित किया गया है और एक तरफ राहत का दावा किया गया है और दूसरी तरफ इनकार किया गया है, न कि वे विवाद वादी-अपीलार्थी और प्रतिवादियों के बीच आपस में उत्पन्न हो सकते हैं

> या वाद के पक्षकारों और किसी तीसरे पक्षकार के बीच उत्पन्न हो सकते है.....
>
> 18. इसके अलावा, एक और सिद्धांत है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। अपीलकर्ता, जिसने बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए तत्काल वाद दायर किया है, कानूनी मुकदमा से प्रभावी है और उसे उन पक्षों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिनके खिलाफ वह लड़ना नहीं चाहता है, जब तक कि यह कानून के शासन की मजबूरी न हो, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है।

14. विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 19 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत उन पक्षकारों और व्यक्तियों के खिलाफ राहत प्रदान करती है जो बाद में अपने स्वामित्व का दावा करते हैं। जो आवेदक बिक्री के लिए अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद में प्रतिवादी के रूप में शामिल होना चाहते हैं, वे वाद संपत्ति में स्वतंत्र स्वामित्व का दावा कर रहे हैं और प्रतिवादी के तहत किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं और इसलिए वे अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (क) से (ङ) में उल्लिखित श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 19 इस बिंदु पर विस्तृत है कि वे कौन से पक्षकार हैं जिनके खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए अनुबंध लागू किया जा सकता है।

15. जो आवेदक बेचने के समझौते में पक्षकार नहीं हैं, वे बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के वाद में पक्षकार नहीं हो सकते हैं। यदि इस वाद में डिक्री पारित की जाती है तो यह उन पर बाध्यकारी नहीं होगा और आवेदक या तो

सी.प्र.सं. के प्रासंगिक प्रावधान का सहारा लेकर अपने स्वामित्व और कब्जे की रक्षा आदेश के निष्पादन में बाधा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे, यदि वे उनके लिए उपलब्ध हैं, या वाद के पक्षकारों के खिलाफ कब्जे की घोषणा और स्वामित्व के लिए स्वतंत्र वाद दायर करें। यदि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री वादी के पक्ष में पारित की जाती है और बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है, तो उसे आवेदकों पर कब्जा करने के लिए वाद करना होगा यदि उनके कब्जे में अवैध संपत्ति हैं।

16. यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि प्रतिवादी, आवेदक और प्रतिवादी के परिवार के अन्य सदस्य उन संपत्तियों के संबंध में एक-दूसरे के साथ मुकदमा कर रहे हैं जो विभाजन के वाद में माम चंद की संपत्ति के विभाजन के बाद प्रतिवादी के हिस्से में आ गई हैं जबकि प्रतिवादी और उसके भाइयों ने अपने विवादों में समझौता कर लिया है।

17. इसलिए, मुझे आवेदनों में कोई तथ्य नहीं मिलता है और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

<u>सि.वा.(मू.प.) सं. 831/2006</u>

13 जनवरी, 2010 को आगे के निर्देशों के लिए नियमित पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया जाए।

पक्षकारों को निर्धारित तिथि पर संबंधित अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अरूणा सुरेश

न्यायाधीश

07 जनवरी, 2010

वीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकदमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*